28

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/4546 **निगरानी प्रकरण क्रमांक :** ....

गंगाराम आत्मज मंशाराम, वयस्क
निवासी – ग्राम चितावर,
तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

गोपाल , आत्मज श्री कमलाल, वयस्क
निवासी – ग्राम चितावर,
तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा .... **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 23.06.2017, जो प्रकरण क्र. 50/अ–12/2016–17 में श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी ने ग्राम चितावर स्थित भूमि खसरा क्र. 380, 493/3 रकबा क्रमशः 0.848 एवं 0.838 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत न्यायालय में प्रस्तुत किया।

02. यह कि, उक्त सीमांकन में विधिवत् कार्यवाही किये बगैर प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि भूमि खसरा क्र. 380 रकबा 0.848 हेक्टेयर भूमि पर गंगाराम गुर्जर का अवैध कब्जा है।

03. यह कि, उक्त सीमांकन किये जाने के पूर्व किसी तरह की कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी गई। प्रार्थी के विरूद्ध जब मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के प्रकरण की तारीख पेशी की सूचना प्राप्त हुई, तब प्रार्थी न्यायालय में गया और उसने प्रकरण से संबंधित समस्त जानकारी ली तो उसे आलोच्य सीमांकन के संबंध में जानकारी हुई। आलोच्य सीमांकन की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर उक्त आदेश के विरूद्ध अविलम्ब यह निगरानी माननीय न्यायालय में निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

निरंतर ....

3

BKSrivastava
ब्रज किशोर श्रीवास्तव
25, हरि निवास दुर्गा चौक,
तलैया, भोपाल

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4546

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार सिरोंज जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 50/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम चितावर तह0 सिरोंज जिला विदिशा स्थित भूमि सर्वे नं. 380 रकवा 0.848 एवं 493/3 रकवा 0.838 हे. भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार सिरोंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार सिरोंज ने अपने आदेश दिनांक 23.06.2017 द्वारा सीमांकन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि राजस्व निरीक्षक ने पंचनामे में यह उल्लेख किया है कि गंगाराम को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर उपस्थित नहीं हुआ, जबकि प्रकरण में गंगाराम को प्रेषित सूचना-पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि सीमांकन के पूर्व गंगाराम को कोई सूचना नहीं दी गई। 4/ अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्त के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामे में यह लेख किया गया है कि गंगाराम को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। जबकि सूचना-पत्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक गंगाराम को सूचना-पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में की गई उक्त सीमांकन कार्यवाही अवैध एवं अनुचित है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया गया उक्त सीमांकन आदेश दिनांक 23.06.2017 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उभयपक्षों को विधिवत सूचना देकर एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुन: सीमांकन करें। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	